समाचार–प्रकाशनार्थ :–

मा0 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान के संवाद को देखा व सुना पीएम स्वनिधी के 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये

रतलाम 29 अगस्त। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा बालाघाट से अपरान्ह 1:00 बजे से किये गये संवाद व उद्‌बोधन के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व हितग्राहियों ने विधायक सभाग्रह में एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना। इस अवसर पर 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये।

इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि पीएम स्व निधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अभिनव योजनाऐं है योजनाऐ फेरी लगाकर स्वरोजगार धंधा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई है योजना में शासन द्वारा 10 हजार रुपए का ऋण बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है पूरा ऋण चुकाने के बाद हितग्राही को बगैर ब्याज के दुगनी राशि अर्थात 20 हजार रुपए का ऋण लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होने हितग्राहियों से आग्रह किया कि योजना में प्राप्त ऋण को अपने जीवन की उन्नति का आधार बनाए ऋण वापस करने की प्रवृत्ति रखें इससे आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से सदैव सफल रहेंगे।

सांसद माननीय श्री गुमान सिंह जी डामोर ने इस अवसर पर कहा कि शासन द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान किया जा रहा हैए इनके व्यवसाय उन्नत हो जीवन स्तर ऊंचा उठे इसलिए योजनाएं संचालित की जा रही है कोरोना काल में योजनाओं ने बहुत बड़ा सहारा स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राहियों को प्रदान किया है

आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम, रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री अरुण कुमार पाठक, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, दीक्षा निजामपुरकर, अनिता ठाकुर, सिटी मैनेजर श्री भगवानसिंह राजपूत, श्री कपील मारोठिया के अलावा सर्वश्री राजेन्द्रसिंह लूनेरा, प्रदीप उपाध्याय, अरूण राव, श्रीमती अनिता कटारिया, मयूर पुरोहित, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, हेमा सिलावट, डॉ0 निर्मला राय सहित निगम प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 29 अगस्त को 53 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 अगस्त रविवार को 53 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

29 अगस्त रविवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 26840, काम्पेक्टर सूखा कचरा 15160, काम्पेक्टर गीला 10820, मैजिक 1060 किलो इस तरह कुल 53880 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

5 सामुदायिक संगठिकाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 । नगर निगम एनयूएलएम विभाग की सामुदायिक संगठिकाओं 29 अगस्त को प्रातः 09:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दिये जाने के बाद भी प्रातः 09:30 तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिकाओं का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, हेमा सिलावट व डॉ0 निर्मला राय का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा वार्ड दरोगा शरद खरे निलंबित

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा रात्री कालीन निरीक्षण के दौरान सैलाना रोड ब्रीज व कालिका माता झाली तालाब क्षेत्र की लाईटें बंद पाई जाने पर प्रकाश प्रभारी श्री एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा इसके अलावा पांजरा पोल केम्पस में कचरे के ढेर पाये जाने पर वार्ड दरोगा शरद खरे को निलंबित किया गया।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा रात्री कालीन निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कई दुकानों, ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर संबंधितों पर स्पॉट फाईन नहीं किये जाने पर स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों, ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों, ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट व राकेश ललावत का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

भैंसो के तबेलो को तोड़ा जायेगा

रतलाम 29 अगस्त । रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसो के तबेलो का सर्वे पूर्ण किया जाकर तबेले संचालकों को तबेले हटाने हेतु चेतावनी दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसो का पालन करना निगम एक्ट के विपरित है, ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित

तबेले का निर्माण कर भैंसो का पालन कर रहे है वे स्वंय अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 29 अगस्त । **कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 अगस्त को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी व झोन प्रभारी द्वारा खुले में गंदगी करने पर गोपाल, जयेश, सुनील स्टेशन रोड पर 250–250, जीतूबाई धानमण्डी, अरविन्द, मनोज सैलाना बस स्टैण्ड, कमल, प्रदीप दो बत्ती, बद्रीराम फव्वारा चौक, आनन्दश्री पेलेस रोड, प्रमोद, परमार जी पर 100–100 व लोकेश सैलाना ब्रीज पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा व स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 29 अगस्त । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आज 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

नगर निगम द्वारा अब तक 7352 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 29 अगस्त। **कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।**

28 अगस्त शनिवार को श्री मॉ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागर कालोनी, जूनियर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार आनन्द कालोनी, मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोड, अलकापुरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्नेह नगर 80 फीट रोड, प्रतीक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सराय, बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सराय, गीता महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मेहताजी का वास व डिम्पल महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नयागांव में 36 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7316 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 29 अगस्त । **नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

निगम से संबंधित करो की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 29 अगस्त । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग–धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) से 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण–पत्र

रतलाम 29 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण–पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण–पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 29 अगस्त । **कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अगस्त **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 29.08.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.